कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– / FP/UK/ROAD/19472/2016 :देहरादूनः 13 जनवरी, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

प्राप्ति सं० 757
पत्रा० सं० 6 FC/10
दिनांक 22/01/2021

विषयः– जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत हमरउ–ललउ–मसराड़ मोटर मार्ग का दातनू बडनू तक विस्तार हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/19472/2016)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी. पी./06/135/2018/एफ0सी0/151 दिनॉक 29–04–2019.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 4.165 हे0 ग्राम–मसराड़ सिविल सोयम पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि ₹ 11,60,640.00 (₹ इग्यारह लाख साठ हजार छः सौ चालीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–मसराड की सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। खाता खतौनी की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 13,68,203.00 (₹ तेरह लाख अड़सठ हजार दो सौ तीन) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

4. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न है। (संलग्नक–2)

5. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। (संलग्नक–3)

6 शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां कुल ₹ 25,28,843.00 (₹ पच्चीस लाख अठ्ठाईस हजार आठ सौ तितालिस) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। On line paid status की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)

7. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation किया जायेगा। (संलग्नक–5)

अतः विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

AE III

वनभूमि सहायक

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :– 1384 / FP/UK/ROAD/19472/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया।

13.1.21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,